


188
25 पत्रावली पेश। प्राची व वकील प्राची को
बार-बार आवाज लगाई गई। बार-
बार आवाज लगाने के कारण भी
प्राची व वकील प्राची न्यायालय में
हाजिर नहीं हुए। अतः प्राची का पत्रना
पत्र अन्तर्गत धारा 212 RIA अधिनियम
हाजरी अधिनियम में खारिज किया
जाता है पत्रावली फंसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर
हो।


उपखण्ड अधिकारी
दत्तारामगढ़